उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
लखनऊ : दिनॉक : 17 फरवरी, 2020

अधिसूचना

प्रदेश में स्थाई व सतत् औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा घरेलू एवं निर्यात बाजार में राज्य निर्मित उत्पादों की क्षमता में वृद्धि हेतु एक जीवंत वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–649/77–6–18–एल0सी04/18 दिनांक 27.02.2018 द्वारा वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 प्रख्यापित की गयी है जिसे अधिसूचना संख्या–05/2019/547/77–6–19–एन.सी.–04/18 दिनांक 22 जुलाई, 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। उक्त नीति (यथा संशोधित) में यह प्राविधान है कि निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लाजिस्टिक्स इकाईयों के विकासकर्ताओं को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही यह भी प्राविधान है कि लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाइयों से 25 प्रतिशत विकास शुल्क लिया जाएगा।

2– उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–53 में इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावलियों या विनियमों से छूट के संबंध में निम्नवत प्राविधान है :–

"इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तो एवं निबन्धनों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी भूमि या भवन को अथवा भूमि या भवन के किसी वर्ग को इस अधिनियम अथवा तद्न्तर्गत निर्मित किसी नियम अथवा विनियम के सभी अथवा किन्हीं उपबन्धों से छूट प्रदान कर सकेगी।"

3– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–2281/8–3–14–194 विविध/14, दिनांक 11.12.2014 के माध्यम से उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 अधिसूचित की गई है, जिसके नियम–3(तीन) के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि जहॉ पर पूर्ण या आंशिक रूप से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान को अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है तो भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क उद्ग्रहीत नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त उक्त विकास शुल्क नियमावली के नियम–3(छः) में यह प्राविधान है कि जहॉ अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गई हो, वहॉ भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

अतएव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा 53 में वर्णित छूट संबंधी प्राविधानों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 में परिभाषित निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाईयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दिए जाने तथा विकास प्राधिकरण की महायोजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र में लागू विकास शुल्क दर का 25 प्रतिशत का भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
उत्तर प्रदेश शासन

(1) उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति—2018 में परिभाषित इकाईयों को ही शुल्क से छूट की सुविधा अनुमन्य होगी।

(2) इकाईयों द्वारा सभी अनापत्ति प्रमाण—पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियॉ स्वयं प्राप्त की जाएगी।

(3) इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन यथा सम्भव ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहां पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध हों।

(4) उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति—2018 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना होगा।

(5) उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति—2018 तथा इस अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित राज्य सरकार को वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू—राजस्व के बकाये की भॉति की जाएगी।

कृपया उपरोक्त प्राविधानों का अनुपालन कराते हुए प्रभावी महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स में यथावश्यक संशोधन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by दीपक कुमार
Date: Fri Feb 14 19:34:50 IST 2020
Reason: Approved
(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव,

संख्या— I/19813 (1) —तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
(3) जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
(4) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(5) अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(6) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए समस्त संबंधित को तामील कराने का कष्ट करें।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

उ0 – 666/77-6-2020

संख्या–U0-05/77–4–20–05यू.ओ./20

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा,/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/लीडा/यूपीसीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2020

विषयः–उ0प्र0 वेअरहाउसिंग लॉजिस्टिक नीति–2018 के प्रस्तर–5.7 एवं प्रस्तर–6.7 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास प्राधिकरण अनुभाग–6 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–547/77–6–19–एल.सी..04/18, दिनांक 22.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उ0प्र0 वेअरहाउसिंग लॉजिस्टिक नीति–2018 के प्रस्तर–5.7 एवं प्रस्तर–6.7 में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं :–

प्रस्तर–5.7 विकास शुल्कः– पार्क से विकास शुल्क केवल विकास प्राधिकरण की महायोजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र में लागू विकास शुल्क दर का 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

प्रस्तर–6.7 विकास शुल्क :– लॉजिस्टिक इकाईयों से विकास शुल्क केवल विकास प्राधिकरण की महायोजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र में लागू विकास शुल्क दर का 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–यू.ओ.05(1)/77–4–20तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
2. औद्योगिक विकास अनुभाग–6।

श्री सुनील
2/2/2020

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।